ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 25-29
www.allresearchjournal.com
Received: 19-08-2021
Accepted: 21-09-2021

राहुल कुमार यादव
पी0 एच0 डी0 (शोध छात्र)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविघालय), लखनऊ,
उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
राहुल कुमार यादव
पी0 एच0 डी0 (शोध छात्र)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविघालय), लखनऊ,
उत्तर प्रदेश, भारत

भारतीय समाज में दलित महिलाओं की स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

राहुल कुमार यादव

सारांश
भारत में दलित महिलाएं सदियों से मौन की संस्कृति में जी रही हैं। वे अपने शोषण, उत्पीड़न और अपने विरूद्ध बर्बरता की मूकदर्शक बनी रही। उनका अपने शरीर, कमाई और जीवन पर कोई अधिकार व नियंत्रण नहीं है। उनके विरूद्ध हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की चरम अभिव्यक्ति भुख, कुपोषण, बीमारी, शारीरिक और मानसिक यातना बलात्कार के रूप में दिखाई देती है, अशिक्षा, अस्वस्थता बेरोजगारी, असुरक्षा और अमानवीय व्यवहार तथा सामंतवाद जातिवाद और पितृसत्ता की सामूहिक ताकतों ने उनके जीवन को बद् से बद्तर बना दिया हैं। आधुनिक और उत्तर–आधुनिकता तथा वैश्वीकरण के युग में भी आज उनके विरूद्ध हिंसा असमानता जैसी घटनाएं लगातार हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ये लेख दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति पर आधारित है।

कूटशब्दः महिला, दलित, उत्पीड़न, हिंसा, सशक्तिकरण

प्रस्तावना
यह एतिहासिक तथ्य है कि संसार की रचना स्त्री और पुरुष से हुई है। दोनो की ही संसार की रचना मे महत्वपूर्ण स्थान है तथा स्त्री व पुरुष मे से किसी एक के अभाव मे मानव के विकास की कल्पना नही की जा सकती है। कबीलाई जीवन के विकास के साथ कृषि कार्य प्रारम्भ हुआ तथा जीवन का मुख्य आधार कृषि हो गया। भूमि पर कब्जे को लेकर कबीलो मे लड़ाई प्रारम्भ हुयी पराजित कबीलो के व्यक्ति विजयी कबीलो के दास बनाए गए तथा यही से मालिक और दास सम्बन्धो की नींव पड़ी। व्यक्ति–व्यक्ति का शोषण करने लगा तथा स्त्री का भी शोषण आरम्भ हो गया। स्त्री को घर की चार दीवारी मे कौद कर दीया गया तथा उसे अपने जीवन यापन के लिए पुरुष के अधीन कर दीया गया। (सिंह, वी0, एन0 और सिंह, जनमेजय, 2012,पेज न0–256)
प्राचीन काल से आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल मे दलित महिलाओं कि ही नही अपितु समस्त महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति मे गिरावट आयी और आगे के कालो मे महिलाओं की स्थिति बद से बद्तर हो गयी। आधुनिक काल मे इनकी स्थिति मे सुधार करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी महिलाएं विशेषकर दलित महिलाएं की स्थिति मे सुधार की आवश्यकता है। इनकी अधीनता तथा दासता जैसी स्थिति के लिए समाजिक व्यवस्था तथा पुरूष प्रधान की सोच उत्तरदायी हैं। (सुमन, डॉ0, मंजू और रावत, ज्ञानेन्द्र, 2004, पेज न0–96) भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल महिलाओं की संख्या–58,7584719 हैं तथा प्रतिशत में 48.53% हैं। भारत में दलित महिलाओ को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है जब से आवास, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शिक्षा आदि से सम्बन्धित अपने अधिकारो की मांग करती है तथा जब वे खुले मे सौच के लिए जाती है। (एफ.ई.डी.ओ.–सितम्बर 2013) भारत में दलित महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वे दुनिया में हर जगह सबसे बड़े सामाजिक रूप से पृथक समूह में से एक है और दूनिया की कुल आबादी का 2% है। दलित महिलाओं के साथ तिगुना भेदभाव किया जाता है–प्रथम दलित होने के कायण दूसरा गरीब होने के कारण और तीसरा महिला होने के कारण। दलित महिलाएं 200 मिलियन दलित आबादी का आधा हिस्सा है तथा भारत में कुल महिला आबादी का 16.3% हैं। पारम्परिक निषेध दलित महिलाओं व दलित पुरूषों के लिए समान है। हालांकि, दलित महिलाओं को इन निषेधो के साथ अधिक बार सामना करना पड़ता है। दलित महिलाओं के साथ न केवल ऊँची जाति के पुरूषों व महिलाओं द्वारा बल्कि उनके अपने समुदाय में भी भेदभाव किया जाता है। दलित समुदाय मे पुरूष प्रमुख है।

दलित महिलाओं के पास दलित आन्दोलनो के भीतर कम शक्ति है इन आन्दोलनों में दलित महिलाएं बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, लेकिन स्थानिय निकायों, संगठनो में अधिकांश नंतृत्व के पदो पर अब तक पुरूषों का ही दबदबा है। (मनोरमा, रूथ)। दलित महिलाओं के प्रति हिंसा विभिन्न प्रकार के मानवधिकारों के उलंघन के रूप में प्रवृत्त है। जब दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए, फसली भूमि के विवादो के लिए या खोयी हुयी भूमि पुनः प्राप्त करने के प्रयासो के तहत जब आन्दोलन किया जाता है तो नेताओ, भूमि के मालिको तथा पुलिस द्वारा उनके साथ बलात्कार किया जाता है। (सुमन, घोषाल, 2014) दलित महिलाए सामान्य समुदाय और अपने परिवार दोनो के पित्तसत्तात्मक संरचना के अधीन है। प्रमुख जातियो द्वारा दलित महिलाओं पर हिंसा दलित समुदाय को सबक सिखाने के लिए भी की जाती हैं। दलित महिलाओ के साथ मानवाधिकार का उलंघन या र्दुव्यवहार अधिकतर अपवित्रता की धारणा के साथ जुड़ा हुआ हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अक्सर उन्हे न्याय और विधिक सहायता पाने से रोक दिया जाता है। अधिकतर मामलो मे न्यायपालिका दलित महिलाओं के विभेदीकरण से रक्षा के मामले को रोकने मे और उन्हे संरक्षण देने मे विफल साबित होती है। दलित महिलाएं जातिगत प्रभावित गंभीर समस्याओ से ग्रसित है, जैसे संसाधनो तक पहुँच, जमीन, आधारभूत सुविधाए, न्याय आदि की कमी। ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच मे कमी के कारण दलित ग्रामीण महिलाओं को अपने परिवार और समुदाय के भीतर कई उत्पाद और प्रजनन भूमिकाए निभाने में विभिन्न चुनौतियो का सामना करना पड़ता हैं। वे अधिकतम भूमिहीन गरीब है। और रोजगार व ऋण के लिए प्रमुख जाति पर निर्भर हैं। संसाधनो तक उनकी पहुँच के प्रयास मे भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। (एफ.ई.डी.ओ.–सितम्बर 2013) दलित महिलाएं लिंग और जाति आधारित हिंसा दोनो का शिकार होती है। महिलाओ के विरुद्ध हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संबंध मे उल्लेख किया गया है कि "दलित महिलाओ के विरुद्ध राज्य अभिकर्ताओ और प्रभुत्वशाली जाती के पुरुषो द्वारा राजनीतिक सबक सिखाने व दलित समुदाय मे असन्तोष उत्पन्न करने के लिए दलित महिलाओ पर लक्षित हिंसा (जिसमे बलात्कार ओर हत्या शामिल है) किया जाता हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मानदण्डो द्वारा मान्य लिंग असमानता महिलाओ को हिंसा के अधीनस्थ करती है और पित्तसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत करती है जिससे उनके विरुद्ध हिंसा उनके घरो और समुदायो के भीतर भी हो सके। दलित महिलाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो मे मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है सार्वजनिक क्षेत्रो मे कई कारणे से मौखिक और शारीरिक हमला किया जाता है जैसे– सार्वजनिक संसाधनो तक पहुँचने का प्रयास करने पर, हिंसा की घटना के बाद न्याय पाने का अधिकारो का प्रयोग करने पर तथा निजी क्षेत्रो दलित महिलाओ पर अत्याचार तब किया जाता है जब वे पत्नी होने का कर्तव्यो का सही ठंग से नही पालन करती है, बच्चो विशेष रुप से पुरुष बच्चे की सही से देखभाल न करने के कारण, पर्याप्त दहेज न लाने की वजह से उन पर अत्याचार किया जाता है इसके अतिरिक्त उनकी निम्न सामाजि–आर्थिक स्थिति के कारण, दलित महिलाएं अक्सर तस्करी और यौन शोषण का शिकार होती है दलित महिलाओ की यौन और शारीरिक अखण्डता, कम उम्र मे ही भंग कर दी जाती है। जाति पदानुक्रम के कारण दलित महिलाओं के शरीर पर प्रमुख जाति के पुरुषो का कथित तौर पर अधिकार है । जबकि लैंगिक असमानता और अधीनता के मानदण्ड वैवाहिक बलात्कार और जातिगत यौन उत्पीड़न के अपराधो मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। दलित महिलाओं को प्रमुख जाति के किसी भी पुरुष के लिए यौन रुप से उपलब्ध माना जाता है। इसके अतिरिक्त देवदासी प्रथा के रुप मे युवा दलित लड़कियों को मन्दिर मे बलात् वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता हैं। दलित महिलाओ का यौन शोषण उनकी निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण एक सामान्य घटना है और प्रमुख जाति के सदस्य उनकी शक्ति और अधिकार का लाभ उठाते है। जादू–टोनो के आरोपो के परिणामस्वरुप बड़ी संख्या मे दलित महिलाएं पीड़ित है। इसी प्रकार अर्न्तजातीय विवाह के मामले मे दलित महिलाओं को सबसे अधिक शिकार होने की संम्भावना है। उच्च जाति के सदस्यो के लिए यह सामान्य घटना है कि वे दलित लड़कियों के साथ प्यार करने का नाटक करे और फिर उन्हे गर्भवती कर दे या शादी के तुरन्त बाद जाति के आधार पर छोड़ देते है। दलित महिलाओं को घर में, सार्वजनिक स्थानो पर और यहाँ तक कि कुछ मौको पर भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। (एफ.ई.डी. ओ.–सितम्बर 2013)

उद्देश्यः भारत में दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति का पता लगाना।

शोध विधिः प्रस्तुत लेख द्वितीयक तथों पर आधारित है जिसके तथ्य समाचार पत्रों, पुस्तको, लेखों आदि से लिया गया हैं।

दलित महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों मे स्थिति

दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति

भारतीय सामाजिक संरचना में दलित महिलाओं की असमानता सबसे गंभीर और अस्वीकार्य है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनकी स्थिति पर पड़ता है। असमानता व्यवस्थित है जो सामाजिक मानदंडों, नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्मित है जो शक्ति, धन और अन्य आवश्यक सामाजिक संसाधनों के अनुचित वितरण को बढ़ावा देती हैं। Whitehead et.al, 2007 के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित सामाजिक पदानुक्रमों के कारण असमानताएं उत्पन्न होती हैं। दलित महिलाओं की स्थिति सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करती है जो बदले में उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, न कि केवल किसी कार्यक्रम और नीतियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। भारत में जाति और सामाजिक स्तरीकरण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक परिणात निर्धारित करते हैं (Shahare,2016)। ''पवित्र और प्रदूषण'' के साथ ब्राहणवादी जुनून की कीमत पर दलित महिलाओं के साथ भेदभाव का विकास के सभी आयामों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हैं।

मानव के विकास के बाद से दलित महिलाओं को भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी दलित महिलाओं को उनके परिवारो के साथ गांव के किनारे पर अलग–अलग बस्तियों मे या गांव के एक कोने के मोहल्लों में, नागरिक सुविधाओं से रहित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़को तक पहुंच आदि से वंचित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में उनके झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर घर पाए जाते है जो आमतौर पर बहुत ही अस्वच्छ वातावरण में स्थित होते हैं। दलित महिलाएं सबसे कमजोर समूह, जो आसानी से शोषण और हिंसा के शिकार होते हैं। भारतीय समाज में उनका जीवन सबसे असुरक्षित है। भारतीय समाज की माध्यमिक भूमिका पितृसत्तात्मक और पदानुक्रमित संरचना के कारण, उनमें से 90% कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हे पुरूषों की तुलना में अधिक हद तक हिंसा का सामना करना पड़ा। धार्मिकता के नाम पर उनका शोषण जैसे 'नग्न पूजा' देवदासी की प्रथा और इसी तरह की अन्य प्रथाओं ने उन्हे हिंसा और भेदभाव के प्रति अधिक विनम्र बना दिया (Encyclopedia of Dalit in India, 2002)। उनमें से अधिकांश खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रही हैं। इस प्रकार दलित महिलाओं के सामाजिक

नुकसान और सशक्तिकरण के बीच ऐतिहासिक और समकालिक दोनो संबंध हैं।

मैला ढोने वाली ज्यादातर दलित महिलाएं हैं जिनका कार्य सूखे गड्ढे वाले सौचालयों से मानव मल को साफ करना है। मैला ढोने मे लगे लोगों को दलितों में सबसे निचले पायदान पर देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है (Human Rights Watch, 2009)। इन व्यसायों को न केवल उनकी अनिश्चितता और घटिया काम करने की स्थिति की विशेषता है, बल्कि आमतौर पर श्रम सुरक्षा कानूनों और नीतियों से भी बाहर रखा जाता है, दलित महिलाएं जिन्हे अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता हैं, उनके साथ कम मजदूरी, लंबी अवधी की बेरोजगारी और काम के कम अवसरो के माध्यम से भेदभाव किया जाता है। उन्हे दूसरों द्वारा काम पर रखने में अधिक कठिनाई होती है क्योंकि व्यवसाय के मालिक आमतौर पर अपनी ही जाति के लोगों को काम पर रखना पसंद करते हैं। श्रम अधिकारो के संरक्षण के उपायों की कमी के साथ जोखिम भरे कार्यस्थलों ने प्रवासी दलित महिलाओं को व्यवसायिक चोट के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसके अलावा, उप–ठेकेदार अल्पकालिक श्रम की उभरती समस्या के कारण कार्यस्थल पर घायल होने पर मुआवजे का दावा करना उनके लिए और अधिक कठिन हो जाता है। कार्यस्थल की चोट के मुआवजे के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी उस ब्रोकर को हस्तांतरित की जा रही है जिसने कार्यकर्त्ता को उप–अनुबंधित किया है। दलित महिलाएं नियोक्ताओं, प्रवास एजेंटो, भ्रष्ट नौकरशाहों और आपराधिक गिरोहों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित है। कई स्थितियों में, दलित महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि वे किन अधिकारों की हकदार है और इन अधिकारों का दावा कैसे करें, इसलिए दुर्व्यवहार के अधिकांश मामले दर्ज नहीं होते हैं।

हर साल काम की तलास में लाखो दलित परिवार पलायन करते है। गांवो मे आजीविका के धराशायी होने के कारण वे पलायन को मजबूर है। प्रवासियों में दलित महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। मौसमी प्रवास के कारण उन्हे भरी चुनौतियों और संकट का सामना करना पड़ता हैं। कार्यस्थल पर, प्रवासी दलित महिलाओं को अनिवार्य रूप से लंबे समय तक काम पर रखा जाता है। अर्ध–कुशल, कम–कुशल या अकुशल महिला प्रवासियो को कम वेतन देने वाले, असंगठित क्षेत्र मे रखा जाता है, जिसमें शोषण का अधिक जोखिम होता है। दासता की तस्करी भी दलित महिलाओं के बड़े अनुपात के प्रवास में योगदान करती है। दलित महिला प्रवासियों को उन खतरों का सामना करना पड़ता है जो पर्याप्त अधिकारें की सुरक्षा और सुरक्षित प्रवास और कानूनी प्रावधान के अवसरो की कमी की गवाही देते है। उनके सामाजिक नुकसान तब से अस्पृश्यता के अभ्यास के रूप में प्रकट हुएं है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उनके खिलाफ किए गए भेदभाव और अत्याचार शामिल हैं। यद्यपि अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी यह उच्च परिमाण पर बनी हुयी है।

वर्ष 2006 से 2011 के बीच दलित महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार कि हिंसा

Table 1: Crimes against the Dalit Community in India (2006-2011)

Crime	Year						% variation (2010-2011)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Murder	673	674	626	624	570	673	18.
Rape	1217	1349	1457	1346	1349	1557	15.
Kidnapping & abduction	280	332	482	512	511	616	21.
Dacoity	30	23	51	44	42	36	-14,3
Robbery	90	86	85	70	75	54	--28.0
Arson	226	238	225	195	150	169	13.
Hurt	3760	3814	4216	4410	4376	4247	-3.
Protection of civil rights acts	405	206	248	168	143	67	-53.
SC/ST (Prevention of Atrocities) Act	8581	9819	11602	11143	10513	11342	8.
Others	11808	13490	14623	15082	14893	14958	0.
Total	27070	30031	33615	33594	32712	33719	3.

Source: Compiled from National Crime Records Bureau, Reports of variousyears (latp:/ incrb.gov.in/index.htrn (accessed on 19/07/2012).

राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण

ग्रामीण महिलाओ को राजनीतिक रुप से हाशिए पर रखा गया है, ग्रामीण दलित महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया मे बहुत ही कम बोलने दिया जाता है। भारत मे स्थानीय पंचायत मे दलितो के प्रतिनिधित्व के लिए कोटा प्रणाली है लेकिन इनमे दलित महिलाओ की भूमिका दलित पुरुषों के अधीनस्थ है। जो दलित महिलाएं पंचायत मे अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करती है उन्हे पुरुषो और प्रमुख जाति द्वारा प्रतिक्रिया, दबाव और कभी–कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है अधिकांश उदाहरणो मे एक दलित महिला, पंचायत मे अपनी आवाज उठाने का कोई सार्मथ्य नही जुटा पाति है। क्योंकि उसका पति उसका प्रतिनिधित्व करता है और निर्णय लेता है। उसे तब तक घर पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है जब तक कि वह खुद के लिए पंचायत सीट पर कब्जा न कर ले (एफ.ई.डी.ओ.–सितम्बर 2013)।

दलित महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यह सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से दलित महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दलित महिलाओं की मुक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली शाधन हैं। यह न केवल आर्थिक विकास की संभावनाओं में सुधार करता है बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता हैं और बदलते आर्थिक सामाजिक परिदृश्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण में मदद करता है। लेकिन, दलित समुदायों के ऐतिहासिक अनुभव विशेषकर शिक्षा के संदर्भ में अभाव और उत्पीड़न पर आधारित थे। भारतीय जाति व्यवस्था में तथाकथित प्रदूषित और निम्नतम स्थिति के कारण उन्हें पारंपरिक रूप से सीखने से वंचित कर दिया गया था। आजादी के पश्चात भारत सरकार ने दलितों के मानवाधिकारो की रक्षा के लिए संविधान में कई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम (अनुच्छेद–17), भिछावृत्ति तथा बलातश्रम निषेध (अनुच्छेद–23), सकारात्मक भेदभाव, सरकारी सेवाओं और पदों की नियुक्तियों में आरक्षण (अनुच्छेद–335) आदि इसके कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट प्रावधान है। जैसे कि अनुच्छेद–46 राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इन सैवाधानिक निर्देशों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, वजीफा, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दी, मध्ययान भोजन, और छात्रावास की सुविधा प्रदान करके तथा शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करके दलितो के शैक्षिक मानकों में सुधार के प्रयास किए गए हैं। यद्यपि यह सच है कि दलित महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ है फिर भी गैर–दलित महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना में दलित महिलाओं की साक्षरता में दशकीय वद्धि दर बहुत धीमी हैं।

Table 2: Literacy Rate of Dalit & Non-Dalit Women

Year	Literacy Rate (%)					
	Dalit Women			Non-Dalit Women		
	Total Literacy of D alit Women	Rural	Urban	Total Literacy of Non- alit Women	Rural	Urban
1971	6.	5.	17.	18.70	13.	42.
1981	11.	8.	24.	30.	18.	48.
1991	24.	19.	42.	39.	31.	64.
2.	41.90	384	57.	54.	47.	73.
2011	57.	53.	68. b	65.	59.	80.

Source: Census of India, 2011

दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति

दलितों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने आरक्षण नीति लागू की हालांकि आरक्षण प्रणाली से दलित महिलाओं को केवल न्यूनतम लाभ हुआ है, यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योकिं यह प्रणाली केवल सरकारी क्षेत्रों पर लागू होती हैं, इसके अलावा इस प्रणाली के त्रुटिपूर्ण होने का भी दावा किया जाता है क्योकि उच्च जाति के राजनेताओं के वर्चस्व वाली सरकार की ओर से प्रतिबद्धता की कमी के कारण कई नौकरियों में यह प्रावधान अधूरा छोड़ दिया गया हैं तथा अधिकांश आरक्षण कम कौशल और कम वेतन वाली नौकरियों में हैं। 2001 की जनगणना के आकड़े बताते है कि 26% गैर–दलित कार्यबल की तुलना में आधे से अधिक दलित कार्यबल भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। जिनके पास जमीन है, उनमें से एक विशाल बहुमत, यानी लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। 2011 की जनगणना में, 13.29 मिलियन दलित महिला मुख्य श्रमिकों में से, 8.83 मिलियन खेतिहर मजदूर के रूप में और 2.33 मिलियन कृषक के रूप में बताएं गएं थे। 3.93 मिलियन दलित महिलाओं को भी सीमांत श्रमिकों के रूप में सूचित किया गया (जनगणना–2011)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन0एस0एस0–2014) रोजगार के लिए 200 व्यक्तियों पर अध्ययन आकड़े बताते है कि 60% से अधिक दलित श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों मे रहते थे और रोजगार के लिए मजदूरी पर निर्भर थे। वर्ष 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दर की वर्तमान दैनिक स्थिति (सी0डी0एस0) दलित महिला श्रमिको के लिए 21.2% थी, जबकि दलित पुरूष श्रमिकों के लिएं 46.2% थी (एन0एस0एस0–2014)। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में दलित महिला श्रमिकों के लिए सी0डी0एस0 रोजगार दर 14.0% थी, जबकि अन्य परिवारों के लिए यह 45.8% थी। वर्ष 2004–2005 में 43.7% दलित महिलाएँ स्व–नियोजित थीं, 5% नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थीं और 52% अनौपचारिक श्रमिक थी। 2009–2010 में, 35.9% दलित महिलाएँ स्व–नियोजित थी, 6.5% नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थीं और 57.6% अनौपचारिक श्रमिक थीं (GOI, NSSO, Employment and Unemployment Situation in India: July 2009- June 2010)। दलित महिलाओं और गैर–दलित महिलाओं के बीच असमानता बेरोजगारी दर में परिलक्षित होती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्य गैर–दलित महिला श्रमिकों के लिए 1.4% की तुलना में दलित महिलाओं के लिएं सी0डी0एस0 पर आधारित बेरोजगारी दर लगभग 2.10% थी।

अल्प–रोजगार की उच्च दर और निम्न मजदूरी आय के साथ जुड़े मजदूरी–श्रम के उच्च अनुपात के साथ, दलित परिवार की निम्न आय और उच्च स्तर या गरीबी की मात्रा से पीड़ित हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के अनुपात को भी दर्शाता है, और जिसे उपभोग व्यय का एक महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर भी कहा जाता हैं। इन समूहों में दलित महिला परिवारों का प्रतिनिधित्व अधिक था। कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों में स्वरोजगार में लगे उन दलित परिवारों में गरीबी का उच्च स्तर इंगित करता है कि वे आम तौर पर छोटी खेती और कम आय वाले छोटे व्यवसायों में विशेष रूप से दलित महिलाएं केंद्रित थी (Dubey, Amaresh, 2003)। 1970 के दशक से, राज्य ने कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए हैं लेकिन दलित महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया हैं। विभिन्न भूमि सुधारों जैसे कि सीलिंग और अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित कुछ हद तक दलितों की भूमि तक पहुंच में वृद्धि हुयी है, लेकिन ये उपाय भी दलित महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि, इनमें दलितो और गैर–दलितों के बीच विभिन्न प्रकार के तनावों और संघर्षो को जन्म दिया है, और परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे दलितों द्वारा दलितों पर अत्याचार किए गए हैं। नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों में समग्र रूप से बिगड़ती ग्रामीण आर्थिक स्थिति के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

इसके अलावा प्रवासी दलित महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर बेहद सीमित हैं क्योंकि उनके पास ऋण सुरक्षीत करने के लिए पूजीं और आनुषंगिक राशि दोनो की कमी है। दलित भले ही छोटे व्यवसाय खोलने में सफल हो जाते है, लेकिन गैर दलित उन दुकानों को संरक्षण नहीं देते है (Artis *et al*., 2003)। उन्हें शहरों में सामाजिक एकीकरण की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता हैं। बड़ी संख्या में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें आ रहीं हैं। एक अन्य क्षेत्र जहां शोषण बड़े पैमाने पर होता है, वह है, जबरन श्रम जो अवैध भूमिगत अर्थव्यवस्था में होता है और इसलिए राष्ट्रीय आकड़ो से बचने की प्रवृत्ति होती है। वे असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के संपर्क में आने के उच्च जोखिम का सामना करते हैं। यह आबादी बीमारियों के लिए उच्च जोखिम में है और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच का सामना कर रही है। काम की आकस्मिक प्रकृति के कारण निवास का तेजी से परिवर्त्तन उन्हें निवारक देखभाल से बाहर कर देता है और शहर में अनौपचारिक कार्य व्यवस्था में उनकी काम करने की स्थिति उन्हे पर्याप्त उपचारात्मक देखभाल तक पहुंच से वंचित करती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में दलित महिलाओं की स्थिति

दलित महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी बहुत ही चिंताजनक हैं (Shahare, 2016)। एक सामाजिक समूह की स्वास्थ्य स्थिति जटिल रूप से सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है, इस प्रकार किसी स्थान की स्वास्थ्य स्थिति उसके सामाजिक–आर्थिक विकास के आधार पर भिन्न होती हैं। भारत जैसे जाति–विभाजित समाज में स्वास्थ्य की स्थिति सभी क्षेत्रों भिन्न होती है, और यह खण्ड दलित और गैर–दलित महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है (Mukerjee and Sabharwal, 2015)। समाज के किसी भी अन्य वर्ग के विपरीत, दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के कारण सरकार द्वारा प्रदान किए गए अल्प स्वास्थ्य देखभाल लाभों से लाभान्वित होने की संभावना कम है। भारत सभी क्षेत्रों मे वृद्धि के बावजूद लाखों दलित सबसे बुनियादी अधिकारों से बाहर है और सामूहिक भूख, निरक्षरता और अस्वस्थता के अत्याचारों के आधीन है।

अखिल भारतीय स्तर पर, राज्यों के साथ–साथ राज्यों के भीतर सामाजिक समूहों में मृत्यु दर और पोषण में असमानताएं बढ़ रही है। बाल और मातृ मृत्यु दर के आकड़े अनेक राज्यों में भिन्न हो सकते हैं लेकिन राज्य भर में गैर दलित महिलाओं की तुलना में दलित महिलाओं में मृत्यु दर अधिक है। हालाकिं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अन्तर अधिक है। दुर्भाग्य से ये अनुसूचित जाति की पर्याप्त आबादी वाले भी हैं (Shahare, 2016)। दलित महिलाओं की स्वास्थ स्थिति खराब काम का माहौल, मानसिक तनाव, कार्य के लंबे घंटों, भारी वजन उठाने, खतरनाक और लंबी सामग्री से संपर्क, काम की असुविधाजनक स्थिति आदि से जुड़ी हुयी है। व्यापारिक खतरों के अलाव, वे कुपोषण, एनीमिया से पीड़ित हैं। व्यावसायिक खतरों के अलावा वे, कुपोषण, रक्ताल्पता, प्रसव के बाद की जटिलताओं, तपेदिक, आखों की समस्याओं और उनके आहार क्षृंखला में पोषण का निम्न स्तर होने के कारण सामान्य दुर्बलता, बच्चे पैदा करने और लालन पालन करने में निरन्तर समस्याओं से पीड़ित हैं। 1998–1999 में दलित महिलाओं की कम से कम 56% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, और 70% से अधिक दलित महिलाओं का प्रसव घर पर हुआ और कुल महिलाओं की आबादी में से केवल पांचवा हिस्सा का प्रसव स्वास्थ देखरेख संस्थानों में हुआ। इनमें से 40% से अधिक प्रसव टी0बी0ए0 (विलेज दाई) द्वारा किया गया था।

निष्कर्ष

वैश्वीक प्रक्रियाओं, बाजार अर्थव्यवस्था और विकास के राज्य प्रायोजित निजीकरण ने पिछले दशकों में हाशिए पर रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिए पर डाल दिया है। इसके अलावा, वैश्वीकरण समुदाय और भारत में विशेष रूप से दलितों के लोगों के पहचान आयामों पर अपना प्रभाव पैदा कर रहा है। वैश्वीकरण के प्रभावो के पैटर्न ने सामाजिक और आर्थिक असतानताओं को आकार दिया है। इसलिए सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह दलित महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय शुरू करे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करे। साथ ही साथ दलित महिलाओ के पिछड़ेपन, असमानता, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए कई सामाजिक कारक भी जिम्मेदार हैं जैसे गरीबी, निरक्षरता, घर का माहौल, शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया, पारिवारिक समर्थन की कमी, लिंग भेदभाव, जाति हिंसा आदि। लेकिन इन कारको के बावजूद, दलित महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक प्रगति पहले से थोड़ा बेहतर है। इस मुद्दे पर खुद दलित महिलाओ की नारीवादी स्थिति पर काम करने की जरूरत है। दलित महिलाओं की भूमिका और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने वाली मूल समस्या पर्याप्त स्थिति की कमी के कारण उनकी असहाय निर्भरता से उत्पन्न होती है। दलित महिलाओं के उत्थान की कई योजनाएं राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी हैं, लेकिन, ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ शायद ही उन तक पहुंच पाता है। दलित महिलाओं का मुद्दा समकालीन भारतीय समाज मे उनके लोकतांत्रिक स्थान को संकुचित करने के कारण आज खामोश किए गए नए सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। Simone de Beauvoir says "One is not born as a woman, but rather becomes a woman" अर्थात महिला पैदा नहीं होती अपितु बनायी जाती हैं। "Change your life today. Don't gamble on the future, act now, without delay" (Simone de Beauvoir). ठीक इसी तरह महिलाओं को अगर अपनी स्थिति समाज में सुधारनी है, अपने साथ हो रहे असमानताओं, भेदभाव, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाानी है तो उन्हे आज ही उठना पड़ेगा बिना किसी डेरी के।

संदर्भ सूची

1. सुमन, डॉ0, मंजू और रावत,ज्ञानेन्द्र, दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नई–दिल्ली, 2004
2. पाण्डे, एस0, के0, प्राचीन भारत,प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद 2014
3. सिंह, वी0, एन0 और सिंह, जनमेजय, नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2012
4. Manorma, Ruth, Background Information On Dalit Women In India
5. Ghosal, Suman, Dalit And Backword Women, Anmol Publication Private Ltd, New Delhi 2014,
6. एफ. ई. डी. ओ. नेपाल और इण्टरनेशनल दलित सालिडरिटी नेटवर्क–सितम्बर 2013
7. Proggya Ghatak. Societal Status of Dalit Women in India. Women's Link 2011, XVII. https://www.researchgate.net/publication/286239018_Societal_Status_of_Dalit_Women_in_India
8. Shahare Virendra Empowerment of Dalit Women: Policies Programmes and Perspectives 2016 https://www.socialworkfootprints.org/articles/empowerment-of-dalit-women-policies-programmes-and-perspectives
9. Mukerjee Nidhi, Sabharwal Sadana. Status of Dalit Women in India. Indian Institute of dalit studies 2015, IX.
10. Census of India 2011